प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)

१. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा १५ अगस्त २०१४ को की गई थी| योजना का शुभारम्भ २८ अगस्त २०१४ से किया गया| इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना खाता किसी भी सरकारी बैंक में जीरो बैलेंस पर खुलवा सकता है|

२. आवश्यक दस्तावेज

१. यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो अन्य कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं है| यदि आवेदक का पता बदल गया है तो वर्तमान पते को स्वयं प्रमाणित करना ही पर्याप्त है|

२. यदि आधार कार्ड नहीं है तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की आवश्यकता होगी :-
मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड| यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये ''पहचान तथा पते का प्रमाण'' दोनों का कार्य कर सकता है|

३. यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त वर्णित दस्तावेज नहीं है, तथा बैंक द्वारा इसे कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, तो वह निम्नलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता है :-

(i) केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र|

(ii) उक्त व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र|

३. मिलने वाले लाभ

जन-धन योजना में खोला गया खाता सामान्य बचत खाते के सामान ही है| यानी खाताधारक को वह सभी सुविधाएं व लाभ प्राप्त होंगे जो सामान्य बचत खाते में मिलते हैं| साथ ही खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड भी जारी किया जाता है| इसके अलावा जन-धन योजना खाते में मिलने वाले विशेष लाभ निम्नानुसार हैं :

१. इस खाते को खुलवाने और चलाने के लिए कोई भी राशि जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात यह खाता जीरो बैलेंस भी हो सकता है|

२. एक लाख रु. का दुर्घटना बीमा कवर| दुर्घटना बीमा कवर के लिए ४५ दिनों में रुपे डेबिट कार्ड का कम से कम एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए|

३. ३० हजार रु. का जीवन बीमा कवर|

४. छः माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी| यह सुविधा प्रति परिवार एक महिला को मिलेगी| यानी यदि परिवार के ४ लोगों ने खाते खुलवाए हैं, उनमें से किसी एक महिला सदस्य को ५,००० रु. ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी|

Disclaimer :

यह जानकारी http://pmjandhanyojana.co.in तथा अन्य स्रोतों से समेकित की गई है इसका उद्देश्य सामान्य जन को इस योजना की जानकारी प्रदान करना है किसी भी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास के लिए गोयल चैरिटीज एसोसिएशन उत्तरदायी नहीं है